प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने विराटनगर और जमवारामगढ़ में भाजपा की जनाक्रोश यात्राओं को संबोधित किया। दोनों ही जनसभाओं में कार्यकर्ताओं एंव लोगों का भारी जन समर्थन दिखाई दिया। विराटनगर में उत्साहित कार्यकर्ताओं एवं लोगों ने डॉ. पूनिया को कंधे पर उठा लिया। जनसभाओं में भाजपा के कई अन्य क्षेत्रीय नेता भी सम्मिलित हुये। सांसद बालक नाथ, पूर्व मंत्री गोलमा देवी, हेम सिंह भड़ाना एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी डॉ. पूनिया के साथ इन जनसभाओं को संबोधित किया।

विराटनगर और जमवारामगढ़ में भाजपा की जनाक्रोश सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी

सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपाध्यक्ष डॉ. पूनिया ने कहा, विराटनगर में पांडवों ने अज्ञातवास किया था, पांडवों को यहां से शक्ति और ऊर्जा मिली थी और महाभारत का युद्ध जीता, 2023 का राजस्थान का धर्मयुद्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा जीतेगी

- **डॉ. पूनिया ने कहा, जमवारामगढ़ की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं कि, 2023 में भाजपा की सरकार बनने पर रामगढ़ बांध में पानी लाने का संकल्प पूरा करेंगे।**
- **जनाक्रोश सभा से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पूनिया और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा सामोद पहुंचे, सड़क हादसे में मृत लोगों के परिजनों से मिले तथा एक माह का वेतन और क्राउड फण्डिंग से राशि एकत्र करके देने की घोषणा की।**

जयपुर, 4 जनवरी (का.सं.)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने विराटनगर एवं जमवारामगढ़ में जन आक्रोश सभाओं को जन सभा में संबोधित किया। अपार जनसैलाब उमड़ा।

जन आक्रोश सभाओं में सांसद बाबा बालक नाथ, पूर्व मंत्री गोलमा देवी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना, विधायक मंजीत चौधरी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, जिला प्रमुख रमा देवी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष बलवान यादव, पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, मोहित यादव इत्यादि मौजूद रहे।

जन आक्रोश सभाओं को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का किस्सा कुर्सी का चल रहा है, इनके झगड़े के कारण प्रदेश का विकास ठप पड़ा है, आखिर क्यों तो कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए और क्यों वापस लिए, यह राजस्थान की जनता जवाब मांग रही है और चुनाव में भी जनता कांग्रेस के विधायकों और सरकार से जवाब मांगेगी।

डॉ. पूनिया ने कहा, मेरे लिए भाजपा का सम्मान सबसे बड़ा है, मैं जो कुछ भी हूं भाजपा की वजह से हूं, मेरा सम्मान भाजपा की वजह से है। मेरी वाणी और कलम राजस्थान के विकास, उन्नति और शांति के लिए चलेगी, यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2023 में भाजपा की सरकार बनने पर रामगढ़ बांध में पानी लाने का संकल्प पूरा करेंगे।

पूनिया ने कहा, मैं विराटनगर की भूमि से आ ान करता हूँ कि, 2023 का एक तरह से धर्मयुद्ध है और विराटनगर की धरती से आपको किसान का बेटा निवेदन करने और आ ान करने आया है कि, इस धर्मयुद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाएं किसान और युवा विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। आजादी से लेकर अब तक प्रदेश में यह कांग्रेस की ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है जिसमें प्रदेश के नागरिक अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं, प्रदेश में कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, एक तरीके से गुंडाराज और जंगलराज ऐसे हालात बने हुए हैं। किसानों से संपूर्ण कर्जमाफी और युवाओं से भर्तियों एवं बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने वादाखिलाफी की, झूठ बोला और किसान कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं करने से प्रदेश के 18 हजार से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और काफी संख्या में किसान कर्ज से तंग आकर सुसाइड कर चुके हैं। उसमें जंगलराज, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पुजारियों की हत्या, पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे हैं। विराटनगर में पांडवों ने अज्ञातवास किया था, पांडवों को यहां से शक्ति और ऊर्जा मिली थी और महाभारत का युद्ध जीता, और 2023 का राजस्थान का धर्मयुद्ध भाजपा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और जनकल्याणकारी नीतियों से जीतेगी, जिसमें गुजरात की तरह राजस्थान में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड बनाएगी।

जन आक्रोश सभा से पहले सतीश पूनिया और रामलाल शर्मा ने सामोद पहुंचकर खंडेला-पलसाना मार्ग पर सड़क हादसे में काल कवलित हुए दिवंगत लोगों के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। सतीश पूनिया और रामलाल शर्मा पीड़ित परिजनों को अपने एक-एक महीने का वेतन देंगे, साथ ही पीड़ित परिजनों को सौंपेंगे। राज्य सरकार से भी सतीश पूनिया ने मृतकों व घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

ढाई साल बाद भी कांग्रेस को नहीं मिले 400 ब्लॉक अध्यक्ष, सिर्फ सौ की घोषणा हो पाई

ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आते ही कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की पोल खुली

- **डेढ़ सौ विधानसभा क्षेत्रों में अब भी ब्लॉक अध्यक्षों के पद खाली है। सात जिलों में तो एक भी ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, जबकि पार्टी का दावा तो मंडल स्तर पर भी संगठन तैयार करने का था।**
- **आलाकमान को आंख दिखाने वाले महेश जोशी और शांति धारीवाल को नहीं मिला एक भी ब्लॉक अध्यक्ष।**

जयपुर, 4 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस के नेता राजस्थान में फिर से सरकार बनाने का दावा करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस बार एंटी इन्कम्बैंसी नहीं है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि, साथ रहेंगे तो फिर से सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी कैसी है, इसका उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जब मंडल स्तर तक कांग्रेस संगठन पहुंचाने का दावा करने वाली कांग्रेस, ढाई साल के बाद, खाली पड़े 400 ब्लॉक अध्यक्षों के पदों में से सिर्फ 100 के नाम ही घोषित कर पाई। इसका मतलब साफ लगता है कि बाकी ब्लॉकों में जबरदस्त विवाद है, जिसके कारण नामों की घोषणा नहीं हो पाई है।

जुलाई 2020 में ब्लॉक और जिला कार्यकारणी को भंग किया गया था, ढाई साल बाद उनमें से केवल 100 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा की गई है। यानी कि राजस्थान के 200 में से 150 विधानसभा क्षेत्र अब भी बिना ब्लॉक अध्यक्ष के हैं। जबकि राजस्थान कांग्रेस की ओर से दावा तो किया गया था कि, कांग्रेस मंडल स्तर पर संगठन को विस्तार देगी। ऐसे में अंदाज़ लगाया जा सकता है कि, कांग्रेस की संगठन स्तर पर चुनावी वर्ष में भी कितनी कमजोर तैयारी है। जिन ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई है, वह भी इसलिए हो पाई, क्योंकि राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में संगठन और विधायकों की बैठक के बाद में नियुक्तियाँ करने का दावा किया था, इसलिए बिना विवाद वाले सौ ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा, सचिन पायलट के टोंक और डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वहीं, टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र अलवर रूरल, शकुंतला रावत के बानसूर, मंत्री प्रमोद जैन भाया के अंता, हेमाराम चौधरी के गुड़ामालानी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बागीदौरा, विश्वेंद्र सिंह के डीग कुम्हेर, रामलाल जाट के मांडल, बीडी कल्ला के बीकानेर वैस्ट, भंवर सिंह भाटी के कोलायत, गोविंद राम मेघवाल के खाजूवाला, अशोक चांदना के हिंडोली, उदयलाल आंजना के निंबाहेडा, मुरारी लाल मीणा के दौसा, परसादी लाल मीणा के लालसोट, लालचंद कटारिया के झोटवाड़ा, ममता भूपेश के सिकराय, प्रताप सिंह के सिविल लाइंस, सालेह मोहम्मद के पोकरण, सुखराम बिश्नोई के सांचोर, बृजेंद्र ओला के झुंझुनू, महेंद्र चौधरी के नावा, मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए हैं। चुनाव हारे हुए नेताओं में रघुवीर मीणा, बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी अपने क्षेत्रों में दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में सफल रहे हैं।

जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने हैं उनमें महेश जोशी, शांति धारीवाल, रमेश मीणा, भजन लाल जाटव, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, राजेंद्र यादव के दोनों ब्लॉक बाकी हैं। महेश जोशी और शांति धारीवाल के क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा नहीं होने को उस राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि 25 सितंबर को हुआ था। उसमें प्रमुख भूमिका के चलते दोनों नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया था।

ब्लॉक अध्यक्षों में जिलों की बात करें तो, अलवर के 22 में से 6, बांसवाड़ा के 10 में से 4, बारां के 8 में से 6, बाड़मेर के 14 में से 6, भरतपुर के 14 में से 4, भीलवाड़ा के 14 में से 4, बीकानेर के 14 में से 8, बूंदी के 6में से2, चित्तौड़गढ़ के 10 में से 4, दौसा के 10 में से 6, धौलपुर के 8 में से 2, डूंगरपुर के 8 में से 2, गंगानगर के 12 में से 2, जयपुर के 38 में से केवल 4, जैसलमेर के 4, जालौर के 10 में से 2 , झुंझुनू के 14 में से 8, जोधपुर के 20 में से 4, कोटा के 6 में से 4, नागौर के 20 में से 4, सवाई माधोपुर के 8 में से 2, सीकर के 16 में से 4, सिरोही के 6 में से 2, टोंक के 8 में से 2 और उदयपुर के 8 में से 4 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है।

केवल एक जैसलमेर के सभी चारों ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जबकि 7 जिले, अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, पाली, प्रतापगढ़ और राजसमंद में एक भी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया गया है।

विधवा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया, लेकिन,विभाग ने 19 मार्च,2009 के पत्र में याचिकाकर्ता को निर्भर की श्रेणी में मानने से इंकार करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति देने से इंकार कर दिया। जबकि नियमों में निर्भर सदस्य का हवाला दिया गया है ना कि परिवार का। याचिकाकर्ता और उसका दिवंगत पति अपने तीन बच्चों के साथ आर्थिक रूप से अपनी दिवंगत सास पर ही निर्भर थे। ऐसे में नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता सुशीला देवी निर्भरता की श्रेणी में आती है और अनुकम्पा नियुक्ति की हकदार है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि, विधवा पुत्री के समान ही विधवा पुत्रवधु भी अनुकम्पा नियुक्ति की हकदार है। कोर्ट ने विभाग के 19 मार्च,2009 के पत्र को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की अनुकम्पा नियुक्ति पर 30 दिन विचार करने और सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।

नीतीश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खुश करने वाले मैत्रीपूर्ण बयान देते रहते हैं। लेकिन बिहार के राजनैतिक समीकरणों या विपक्षी एकता के प्रयासों से संबंधित समीकरणों का सुव्यवस्थित रूप में आना दूर की बात है।

सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के 13,000 पद रिक्त पड़े हैं

- **शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावद ने कहा कि, राज्य में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां ना तो व्याख्याता है ना ही वरिष्ठ अध्यापक।**
- **उन्होंने कहा कि, दो सत्रों से व्याख्याता पद पर पदोन्नति भी नहीं हुई है। सरकार के इस ढुलमुल रवैये से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।**

बीकानेर, 4 जनवरी (कासं)। शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावद ने बताया कि, राज्य के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग की सरकारी स्कूलों में कक्षा नवीं व दसवीं को पढ़ने वाले वरिष्ठ अध्यापक व कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं को पढ़ाने वाले व्याख्याताओं के, बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं।

राज्य में सरकारी स्कूलों में स्कूल व्याख्याता के 13 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए आर.पी.एस.सी. ने 11अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल सहित 26 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई थी। इनमें से 15 विषयों की उत्तर कुंजी जारी करके आपत्ति भी मांग ली गई है। बाकी विषयों की उत्तर कुंजी अभी तक नहीं मांगी गई है। वहीं आर.पी.एस.सी. द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के 8 विषयों के 9 हजार 760 पदों के लिए दिसम्बर माह में परीक्षा आयोजित करवाई गई। जिसमें ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का पेपर रद्द होने के कारण अब 29 जनवरी को परीक्षा का आयोजन होगा। विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक से लेकर वरिष्ठ अध्यापक के 4317 पदों पर 21 दिसम्बर को पदोन्नति कर दी गई है। लेकिन इनका आर.पी.एस.सी. से अनुमोदन नहीं होने के कारण इनके चयन आदेश जारी नहीं हुए है। ऐसे में इस सत्र में कक्षा नवीं ओर दसवीं को पढ़ाने के लिए वरिष्ठ अध्यापक नहीं मिलेंगे।

दूसरी ओर वरिष्ठ अध्यापक की सीधी भर्ती की उत्तर कुंजी जारी होगी, आपत्ति ली जायेगी फिर परिणाम जारी होगा। इसके बाद काउन्सलिंग से पदस्थापन आदेश जारी होंगे, जिससे साफ है कि, विद्यार्थियों को इस शिक्षा सत्र में वरिष्ठ अध्यापक नहीं मिलेंगे। साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जिनमें एक भी व्याख्याता नहीं है ओर वरिष्ठ अध्यापक भी नहीं हैं, ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे होगी।

राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2021 को नया सेवा नियम लागू कर दिया, जिसके अनुसार बीए और एमए में समान विषय होने पर ही वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति होगी। विभाग ने इसके आदेश पर पात्रता सूची भी जारी कर दी। कक्षा ग्यारहवीं ओर बारहवीं को पढ़ाने के लिए व्याख्याता जरूरी है, लेकिन, सरकार व विभाग के ढुलमुल रवैए के कारण दो सत्रों से व्याख्याता पदोन्नति नहीं हो पाई है। जिसके कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है।

शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावद ने बताया कि, पद रिक्त होने से ज्यादातर स्कूलों में अभी तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर मार्च माह में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हों जायेंगी, ऐसे में वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता के पद रिक्त होने के कारण इस सत्र की कक्षा दसवीं ओर बारहवीं का बोर्ड परिणाम भी प्रभावित होगा।

कर्नाटक चुनावों में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(सलाह) है। उनकी (भाजपा) की नज़र विकास पर नहीं है, नफरत (पैदा करने) पर है, देश को बाँटने पर है।..... यही कारण है कि हमारी नजर विकास पर है।" उन्होंने कहा कि साफ बात यह है कि भाजपा ऐसे समय पर भावनाओं से खेल रही है, जब लोगों को नौकरी चाहिये, विकास चाहिये तथा अनिवार्य वस्तुओं की जबरदस्त महँगाई को जवाब चाहिये। अभी हाल ही में, भाजपा ने अपने "लव जिहाद" की सोच को कुछ और बढ़ाया है तथा इसकी कई राज्य सरकारें लव-जिहाद विरोधी कानून ले आई हैं तथा ऐसे कानून की माँग कर्नाटक के दक्षिणपंथी संगठन भी कर रहे है। डी.के. शिव कुमार ने भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुये कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने लोगों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया तथा टीपू सुल्तान को महिमामंडित करने वाले लोगों के बीच चुनाव करें। इस प्रकार, शाह ने अपने मंतव्य के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। डी.के. शिव कुमार ने सवाल किया कि "क्या राज्य को प्रधानमंत्री मोदी चलायेंगे? उन्होंने लोगों से वादा किया कि राज्य को कांग्रेस के स्थानीय नेता चलायेंगे। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि इस बार के प्रचार में कर्नाटक के गर्व का मुद्दा चर्चा में रह सकता है। कांग्रेस, भाजपा पर उसके इस मंतव्य और योजना को लेकर प्रहार पहले ही कर चुकी है कि गुजरात मिल्क को-ऑपरेटिव "अमूल" स्थानीय ब्रॉन्ड "नन्दिनी" की मदद करेगा। स्थानीय लोगों के मन को यह बात अच्छी नहीं लगी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तत्काल झपट्टा मारा था।

हल्द्वानी में 4 हजार घर, मंदिर व मस्जिदें तोड़ी जायेंगी?

नई दिल्ली, 4 जनवरी। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद करीब 4 हजार से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद कड़ाके की ठंड के बीच 50 हजार से ज्यादा लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडराने लगा है।

इधर, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए और हजारों लोगों को बेघर होने से बचाए। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद केस की पैरवी करेंगे।दरअसल, हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे-धीरे यहां पक्के मकान बन गए और धीरे-धीरे बस्तियां बसती चली गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा।

एकल पट्टा प्रकरण में हाई कोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **इस मामले में पूर्व आई.ए.एस., जी.एस. संधु तथा निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी आरोपी हैं और ए.सी.बी. कोर्ट ने इन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की अनुमति नहीं दी, इसलिए तीनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।**

मान चुकी है कि, मामले में विवादित भूमि सरकारी नहीं है और मूल पट्टे धारियों ने भी प्रकरण में कोई शिकायत नहीं दी थी। मामले में राज्य सरकार और जेडीए ने भी एसीबी में कोई शिकायत पेश नहीं की थी। ऐसे में यदि अधिकारियों को अभियोजन का अनावश्यक सामना करना पड़े तो इससे अफसरों का मनोबल गिरेगा। इसलिए राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट में मुकदमा वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन एसीबी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही निजी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट पूर्व में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर मामले के शिकायतकर्ता रामशरण सिंह के अधिवक्ता अनिल चौधरी ने कहा कि वे मुकदमे को आगे नहीं चलाना हैं और उन्हें मामले में कोई आपत्ति भी नहीं है।

मामले के अनुसार एसीबी ने वर्ष 2014 में परिवादी रामशरण सिंह की ओर से गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में धांधली की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसमें कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकार मल सैनी, निष्काम दिवाकर सहित गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अग्रवाल और विजय मेहता को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद एसीबी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र पेश करते हुए धारीवाल, एनएल मीणा को क्लीन चिट देकर तत्कालीन जेडीसी ललित के पंवार व अतिरिक्त आयुक्त वीएम कपूर के पक्ष में एफआर पेश की थी। इसके बाद एसीबी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लंबित मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन एसीबी कोर्ट ने एसीबी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

'काओ सैस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता दीनदयाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए स्टाम्प ड्यूटी में दस फीसदी काओ सैस (कर) लगाया था।

इस सैस के जरिए वर्ष 2015-16 में 13.16 करोड रुपए, वर्ष 2016-17 में 138.44 करोड़ रुपए, वर्ष 2017-18 में 257.98 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 266.13 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 292 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 345.99 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार को 418.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

इसके बावजूद गौ संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है और आए दिन प्रदेशभर में गायों सहित अन्य आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। जिनमें न केवल वाहन चालकों की मौत हो जाती है, बल्कि पशु का जीवन भी खत्म हो जाता है। जबकि, पूरे प्रदेश में करीब 16 हजार हेक्टेयर चारागाह भूमि उपलब्ध है।

इसलिए राज्य सरकार इस खाली गोचर जमीन पर फैन्सिंग करे (बाड़ा बनाए) और गायों व अन्य पशुओं के रहवास के लिए व्यवस्था कराए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

भूंगरा हादसे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की मांग को लेकर सर्व समाज ने धरना दिया था।

इस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एएजी संदीप शाह को नोटिस देते हुए कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार की कोई पॉलिसी या गाइडलाइन है क्या।

कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि परिजनों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाता है।

कोर्ट ने फाइनेंस सचिव का शपथ पत्र मांगा है, जिसमें इस तरह कि घटनाएं, जो कि पिछले 5 सालों में घटित हुई हैं। उनमें पीड़ितों के परिजनों को क्या-क्या लाभ दिए गए हैं, उसका विवरण मांगा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि- ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिन मामलों में राज्य सरकार की गलती ना हो या लापरवाही ना हो फिर भी मुआवजा देने एवं अनुकंपा नौकरी देने को लेकर क्या प्रावधान हैं।

130 करोड़ लोगों के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रैस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हजार डॉलर (रूपए 2.69 करोड़) का उपयोग किया है। अय्यूब ने ऐसी कोई भी कारस्तानी करने से सार्वजनिक रूप से इंकार किया है।

अय्यूब को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर की गई अपनी खोजी पत्रकारिता के कारण शोहरत मिली। इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार की प्रतिक्रिया में रही कथित कमी के कारण एक हजार से अधिक लोगों की जान गई जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे।

वह सरकार के दांव-पेचों के विरूद्ध अपनी आवाज उठाना जारी रखे हुए हैं, यद्यपि वह जानती है कि इसके लिए उनका उत्पीड़न भी किया जा सकता है।

मार्टिनेज़ के साथ बातचीत में अय्यूब ने बताया कि भारत के मेनस्ट्रीम डिजीटल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने पर कैसा लगता है और पत्रकार इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। उनके साक्षात्कार की मुख्य बातें निम्न हैं:

मौत की धमकियों, ऑनलाइन उत्पीड़न और कानूनी चुनौतियों पर:

वर्ष 2018 में एक फर्जी पॉर्न वीडियो क्लिप वाट्सऐप पर अपलोड किया गया था जिसमें चेहरा अय्यूब का था। इस वीडियो से व्यापक चिल्ल-पो मची थी। गत जनवरी माह में अय्यूब को अपने एक ट्वीट पर 26 हजार से अधिक रिस्पाँस मिले। इस ट्वीट में यमन के युद्ध में भूमिका को लेकर सऊदी अरब की आलोचना की गई थी। ट्वीट के अधिकांश रिस्पाँस मौत और बलात्कार की धमकियों को लेकर थे।

उन्होंने कहा "मुझे करीब एक दशक से अधिक समय से परेशान किया जा रहा है, जिसमें एक पॉर्न वीडियो में मेरी शक्ल को छद्म रूप से दिखा कर उसे पूरे देश में प्रसारित करने से लेकर मनी लॉड्रिंग के एक केस में मेरे खिलाफ मामला तक दर्ज करना शामिल है। एक बार भारत आने के बाद मैं इस केस को लड़ूंगी। वर्ष 2009 में मैंने एक लेख लिखा था, उसे लेकर मुझे एक माह पूर्व कोर्ट का सम्मन प्राप्त हुआ और मुझे 28 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है। मेरे खिलाफ आरोप ये हैं कि मैं मुस्लिम धर्मावलंबी हूँ और इसीलिए मेरी रिपोर्टिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ट्वीट्स और न्यूज़ चैनल्स में मेरी उपस्थिति को लेकर मेरे खिलाफ कई केस हैं।

"जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो अक्सर वह एक केस में तब्दील हो जाता है। इसलिए मैं एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रही हूँ। इस वक्त मुझे हर किसी व्यक्ति की चिंता है, खासतौर पर भारत के स्वतंत्र पत्रकारों की जो इस संघर्ष में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। पत्रकारों को सिर्फ खबर देने की चिंता करनी चाहिए बजाए इसके कि वे स्वयं एक खबर बन जाएं। हम जिस नए भारत में रहते हैं, वहां हम खुद खबर बन गए हैं।"

पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देने से मोदी के इंकार पर:

"मोदी वर्ष 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आज तक एक भी प्रैस कॉन्फ्रैंस नहीं की है। वे जब भी किसी देश जाते हैं तो वहां भी "जॉइन्ट प्रैस मीट" भी नहीं करते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया के प्रश्नों को टालते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि कई प्रश्न पेचीदा होंगे, खासतौर पर अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर, और उनमें भी भारत में रहने वाले 220 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में।

ऑन लाइन दुष्प्रचार के प्रभाव को लेकर:

"हमारे पास ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जो सरकार की प्रशस्ति गाते हैं और पत्रकारों तथा सरकार के आलोचकों को रोजाना बुरा साबित करते हैं। भारत के लोग इसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ को इसे लेकर शिकायत भी है क्योंकि दुष्प्रचार की संस्कृति आ गई है। यहां वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्ट्राग्राम है जहां फर्जी खबरों का चलन बन गया है और हममें से कुछ को बुरा साबित किया जा रहा है। भारत के न्यूज चैनल्स घ्रणा फैलाने वालों के प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं कि जब पूरे भारत में घ्रणा फैलायी जा रही होती है तब ये उसकी अनदेखी करते हैं। भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने कल ही कहा था कि अल्पसंख्यकों की दादागिरी खत्म करने के लिए भारतीयों को अपने घरों में हथियार रखने चाहिए। भारत की आबादी ज्यादातर कुछ ऐसा ग्रहण कर रही है जो अत्यंत विषैला है।"

मुख्यधारा के मीडिया के विकल्पों पर:

"न्यूज चैनल्स के मालिक बड़े बिज़नैस घराने हैं जो सरकार के विचारों को समायोजित करने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए अपने और अपने प्लेटफॉर्म्स का संरक्षण करने की खातिर पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म्स को सरकार का मुखपत्र बनना पड़ रहा है। भारत के अधिकांश समाचार पत्र सरकारी विज्ञापनों एवं प्राप्तियों पर निर्भर हैं।"

"अब एलन मस्क और ट्विटर पर सैन्सरशिप लागू होने से भारतीय पत्रकारों की ऐसी स्थिति बन गई है जहां एक तरफ तो पत्रकारों को सैंसर करने वाले मीडिया मुगल है जो स्वयं इन प्रकाशनों के मालिक हैं और दूसरी तरफ चौकीदार हैं जो सरकार का संरक्षण करने के लिए पत्रकारों को सैंसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स हैं वे भी उनसे छीने जा रहे हैं।

ओ.बी.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें उच्च न्यायालय के इस आदेश का विरोध किया गया था कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव ओ.बी.सी. को आरक्षण दिये बिना करा लिये जायें।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908